

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1379 / एफ-1-267 / 31 / एस-2 / 2006,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 15 / 03 / 2024

मुख्य अभियंता,  
महानदी गोदावरी कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)


- विषय:- राजनांदगांव (वर्तमान मोहला-मानुपर-अं.चौकी) जिले के विकासखंड-मोहला की मरकाटोला जलाशय योजना की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
- संदर्भ :- 1. प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-1014 / बो.प्र. / RAA / मगोक / 2017 / 9076, रायपुर, दिनांक 08.06.2017.  
2. प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-1014 / बो.प्र. / RAA / मगोक / 2017 / 10908, नवा रायपुर दिनांक 05.12.2022.  
3. आपका पत्र क्र. 23 / डी-4 / मगोक / 2002 / 3065, रायपुर दिनांक 06.04.2023

—00—

- राज्य शासन एतद् द्वारा राजनांदगांव (वर्तमान मोहला-मानुपर-अं.चौकी) जिले के विकासखंड-मोहला की मरकाटोला जलाशय योजना के निर्माण हेतु लागत राशि रु. 2282.94 लाख (रुपये बाईस करोड़ बियासी लाख चौरानवे हजार) मात्र की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।
2. योजना के निर्माण से 486 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
  3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।
  4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
  5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828)-लघु सिंचाई योजना, #97-निर्माण कार्य, 003, बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
  6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.-407 / सी.एन.-31-00715 / बजट-2 / वित्त / चार / 2024, दिनांक 15.03.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
  7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। पुनः लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
  8. योजना की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
  9. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(प्रकाश चंद्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पु.क्र. 1379 / एफ-1-267 / 31 / एस-2 / 2006,

अटल नगर, दिनांक 15 / 03 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
  3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
  6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
  7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
  8. कलेक्टर, जिला- मोहला-मानुपर-अं.चौकी (छ.ग.)।
  9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
  10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
  11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
  12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
  13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
  14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

  
 15/03/24  
 अवर सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 जल संसाधन विभाग  
 (HS)